

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471) भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996 - आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

- (क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति “मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973” के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।
- (ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाएं और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी।
- (ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी, इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा, सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इन परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य

श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो, दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से,
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थानों में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से, सामान्य परिषद् में नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी, परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेंगी, परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो,

- (घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी,
- (ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी, सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा, संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे, महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे, निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी,
- (च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे, वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेंगी,
- (छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा, इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा, संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी,

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा, सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी, तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी।

- (ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं उसका अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे, अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे, इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।
- (झ) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से

मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी,

- (त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिए जायेंगे, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
- (थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।
- (द) वह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. अग्रवाल, उपसचिव,

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम होगा।
2. समिति का पंजीयित कार्यालय में होगा।
3. समिति की स्थापना का उद्देश्य

महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना। इस प्रकार जुटाये गए संसाधनों का उपयोग का सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

- (क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना
- (ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित हैं:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 1.
2. समिति के सामान्य परिषद् अथवा प्रबंध समिति में से कोई भी सात पदाधिकारियों के नाम व अन्य विवरण अंकित करें।

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता

नियमावली

- (1) संस्था का नाम होगा।
- (2) संस्था का कार्यालय म.नं..... मोहल्ले का नाम
तहसील जिला मध्यप्रदेश।
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।
- (4) संस्था का उद्देश्य

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)

.....
.....

- (1) इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न होतो
 - (क) महाविद्यालय से तात्पर्य (नाम) शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 - (ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति
 - (ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,
 - (घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय
 - (ङ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय का कुलपति,
 - (च) आयुक्त से तात्पर्य हैं, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल,
 - (छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य,
- (2) समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-
 - (1) सामान्य परिषद
 - (2) प्रबंध समिति
 - (3) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।

सामान्य परिषद

- (1) समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। वह समिति की सर्वोच्च सभा होगी।
- (2) सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

क्र.	नाम	पता	पद
1.		संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकास के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.		प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	
6.		अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	सदस्य
8.		एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	सदस्य
9.		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
10.		महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे।

(3) समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

- (क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण
- (ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्रों देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण
- (घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना

- (ड) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना
- (च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना
- (छ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना
- (ज) आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण
- (झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना
- (ञ) महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना

(4) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया :-

- (क) साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक साल में दो बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।
- (ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीयत डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।
- (ग) परिषद् की किसी भी सभा के लिए अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- (घ) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।
- (ङ) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।
- (च) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त, शिक्षा की ओर अग्रेषित की जाएगी।

(5) सदस्यों की पंजी :-

- (क) समिति की सामान्य परिषद् द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किए बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।
- (ख) सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।
- (ग) सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी।

प्रबंध समिति

1. सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

- (1) सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा

- (2) संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे।
- (3) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जायेंगे विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
- (4) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।
मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी

प्रबंध समिति के कार्य

2. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा -
 - (क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन के नियम ही लागू रहेंगे।
 - (ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना।
 - (ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था को निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे।
 - (घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।
 - (ङ) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण-पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।
 - (च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना
 - (छ) सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं
 - (ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन
- प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी

वित्त समिति

1. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-
 - (1) प्राचार्य अध्यक्ष
 - (2) बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा। सदस्य
 - (3) पारी क्रम से दो वर्ष के लिए प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक सदस्य
 - (4) महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो, सदस्य

2. वित्त समिति के कार्य

समिति में सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में, यथा

- (1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारूप बनाना
- (2) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना
- (3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है।
- (4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना।
- (5) लेखा बही खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख-रखाव कराना।
- (6) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना।
- (7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना।
- (8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं
- (9) ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंसा जो पद रचना, पूँजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हों

(3) निधि

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे -

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ
- (ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ
- (ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं अन्य सभी प्राप्तियाँ। संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र. 2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होगा। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा। इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

केवल स्वशासी महाविद्यालयों के लिए

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं उनमें अकादमिक परिषद और अध्ययन मण्डल भी होंगे। अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे। इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।

अकादमिक परिषद

(अ) संरचना :-

- | | |
|---|-------------|
| (1) प्राचार्य | अध्यक्ष |
| (2) महाविद्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यापक | सदस्य |
| (3) शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रम में किया जायेगा | सदस्य |
| (4) प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर से कम से कम चार विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों | सदस्य |
| (5) विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि | सदस्य |
| (6) प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक | सदस्य, सचिव |

(ब) सदस्यों की पदावधि -

मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी

(स) बैठकें -

प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद की बैठक बुलाएगा

(द) कृत्य -

अकादमिक परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा

- (1) अध्ययन मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्हीं परिवर्तनों के साथ अनुमोदन करना, किन्तु यहाँ अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुर्नविचार के लिए संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (2) महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित उप नियम बनाना
- (3) परीक्षाओं के संचालन के लिए उप नियम बनाना
- (4) महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के मार्गदर्शक कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया पहल करना
- (5) खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदानों के उचित रख-रखाव एवं संचालन के लिए उपनियम बनाना
- (6) प्रबंध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिए अनुशंसा प्रेषित करना
- (7) प्रबंध समिति के छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदान करने के लिए उपनियम बनाना
- (8) समिति को अकादमिक कार्यकलापों के विषय में परामर्श देना, एवं

- (9) कार्य समिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना।

अध्ययन मण्डल

(अ) संरचना

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | संबंधित विभाग का वरिष्ठतम प्राध्यापक | अध्यक्ष |
| (2) | विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक | सदस्य |
| (3) | अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से बाहर के हों | सदस्य |
| (4) | प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ। यह पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। | सदस्य |
| (5) | जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति से नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ | सदस्य |
| (6) | संकाय के अन्य शिक्षक वृन्द | सदस्य |

(ब) मनोनीत सदस्यों की पदाविधि

मनोनीत सदस्यों की पदाविधि दो वर्ष की होगी।

(स) बैठकें -

विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों की बैठकों का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जा सकती, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(द) कृत्य -

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिए अनुसार कृत्य होंगे-

- (1) अकादमिक परिषद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन से महाविद्यालय के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (2) नवोन्मेषकारी शिक्षण पद्धतियाँ एवं मूल्यांकन प्रतिविधियाँ प्रस्तावित करना
- (3) अकादमिक परिषद् को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं
- (4) शोध, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/महाविद्यालय की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन

सामान्य

- (क) समिति द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जायेगा और न ही समिति अपने कार्य के लिए पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी।
- (ख) समिति अपने कार्य संचालन के लिए महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को ही समिति की निधि से मानदेय स्वीकृत कर सकेगी।
- (ग) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से शासन द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिया जायेगा जिनकी उपलब्धियाँ उत्साहजनक होगी परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
- (घ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

संशोधन

- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

विघटन

- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

संपत्ति

- संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

बैंक खाता

- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट-ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने वा निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना

- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकारी होगा। साथ ही बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

विवाद

- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे।

रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के अतिरिक्त समिति के काम-काज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-परख के लिए कर सकता है। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निर्देश भी दे सकेगा।

जनभागीदारी समिति के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर शासन के निर्देश

क्र.	मुद्दे/समस्याएँ	समाधान
1.	2.	3.
1.	यू.जी.सी. द्वारा प्रतिनिधि का मनोनयन न होने से समिति की बैठक नहीं हो पा रही है।	यू.जी.सी. ने इस समिति में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने में असहमति व्यक्त की है अतः ऐसे मनोनयन की प्रतीक्षा न की जाए।
2.	अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रदत्त की जाने वाली सुविधा	बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्धारित दर से वाहन भत्ते की पात्रता होगी। इसके अलावा किसी प्रकार की अन्य सुविधा पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
3.	विभिन्न प्रकार की ली जाने वाली शुल्क और भिन्न-भिन्न कौन सी शुल्कों में वृद्धि की जा सकती है तथा इन शुल्कों को किन-किन केश बैंकों में लिया जाये।	- शासकीय शुल्क पूर्व निर्धारित दर से ली जाये और उनका शासकीय केश बुक में लेखा-जोखा रखा जाये इन शुल्कों की वैसे भी वृद्धि होने से कोई भी वित्तीय संसाधनों में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह राज्य शासन की प्राप्तियों में समाहित होती है। - सम्मिलित निधि शुल्क भी, शुल्क एवं विकास शुल्क इन शुल्कों को अशासकीय प्राप्ति रसीदों में लिया जाकर कोषालय में महाविद्यालय के पी.डी. खाते में जमा किया जाये। इस खाते का संचालन शासन के नियमानुसार किया जाये। - विश्वविद्यालयों के शुल्क भी, शुल्कों की दरें विश्वविद्यालयीन के द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः महाविद्यालय विद्यार्थियों से इन्हें प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करता है। इनकी दरों में परिवर्तन के लिए समिति कोई कार्यवाही नहीं करें। महाविद्यालयीन शुल्क - इस प्रकार के शुल्कों में कॉमन रूम, साईकल स्टेण्ड, परिचय-पत्र, विवरण-पत्र, प्रवेश-पत्र, विभागीय पुस्तकालय इत्यादि प्रकार के शुल्क इस मद में महाविद्यालयों के द्वारा वसूल किए जाये। इस प्रकार प्राप्त राशि का व्यय प्राचार्य अपने स्तर से महाविद्यालय के संधारण हेतु करते हैं। प्रस्तावित है कि समिति इन प्रकार के शुल्क के लिए नीति निर्धारित कर दरों का संचालन करें। प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करें एवं उक्त खाता प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाये। इसके लिए पूरक रोकड़ का संधारण किया जाये। यू.जी.सी. से प्राप्तित राशि - इसके लिए यू.जी.सी. द्वारा मान्य योजनानुसार आवश्यक अभिलेख जिसमें भण्डार पंजी तथा यू.जी.सी. रोकड़ का संधारण किया जाये।
4.	प्रदत्त वित्तीय अधिकार	महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्राचार्य को वित्तीय अधिकार प्रदत्त किए जाये

इनमें शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार संबंधित निधियों के लिए यथावत रहेंगे। इनमें समिति किसी प्रकार से संशोधन नहीं करेगी।

ऐसी निधियाँ जो ऊपर प्रदत्त अधिकारों की परिधि में नहीं आती हैं उनके लिए वित्तीय अधिकारों की सीमा का निर्धारण वित्तीय समिति के द्वारा किया जाये।

5. प्रबंध समिति हेतु उपाध्यक्ष का नामांकन

संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले के कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद उपाध्यक्ष होंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ उपाध्यक्ष का मनोनयन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा किया जाना है, के प्राचार्य अपने क्षेत्र के कम से कम 03 शिक्षा विदों के नाम इस हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तावित करें।

6. अनुसूचित बैंक में रखी जाने वाली राशि किसके खाते में रखी जाये? संस्था की निधि/ समिति की निधि-क्या पृथक है?

प्राचार्य और जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के नाम खोले जाने वाले संयुक्त खाते में रखी जाये। खाते से राशि का आहरण दोनों के हस्ताक्षर के बाद ही संभव होगा, इसकी सील बनवा ली जाए। यह दोनों एक ही है। इस निधि का तात्पर्य उस राशि से है जो उपरोक्तानुसार संयुक्त खातों में रही गई है। सामान्य शासकीय शुल्क के अलावा प्राप्त यह सभी राशि दान, उपहार, अंशदान, बढ़ी हुई शुल्क आदि। यह समिति की निधि कहलायेगी।

7. कौन से रसीद कट्टे उपयोग में लाए जायेंगे?

समिति के लिए पृथक से रसीद कट्टे तैयार किए जाये।

8. समिति के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था

समिति के कार्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम स्टेशनरी महाविद्यालय की आकस्मिक राशि से ली जाये।

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय

एफ/क्र. 6-550/95/सात/नजूल,

भोपाल, दिनांक 12.2.98

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश।

विषय - राजस्व विभाग की परामर्श दात्री समिति की बैठक में प्राप्त सुझाव पर कार्यवाही।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासकीय स्कूल, अस्पताल, शासकीय भवनों की बाऊन्ड्री तोड़कर या उससे लगाकर व्यावसायिक दुकानें बनाई जा रही है। यह भी ज्ञात हुआ है कि कई नगरों में ऐसी अनुमति आय की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा दी जाती है।

2. अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त शासकीय भवनों के परिसरों या दीवारों से लगाकर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियों प्रतिबंधित की जावें। भविष्य में इस प्रकार के निर्माण कार्य न हो सके यह सुनिश्चित किया जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(पी.डी. अग्रवाल)

उच सचिव

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

एफ/क्र. 6-550/95/सात/नजूल,

भोपाल, दिनांक 12.2.98

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग,
2. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश,
3. सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

म.प्र. शासन राजस्व विभाग

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 606/आउशि/शाखा-1/99

भोपाल, दिनांक 11.03.99

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: महाविद्यालय की समय-सारणी की प्रति जनभागीदारी समिति को उपलब्ध कराया जाना।

महाविद्यालयों में प्रत्येक शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व समय-सारणी जिसमें कक्षा, दिन, समय, विषय, कक्ष क्रमांक एवं शिक्षक का नाम साफ-साफ दर्शाये जाते हैं, प्राचार्य द्वारा तैयार की जाती है। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए समेकित एवं व्यक्तिगत समय-सारणी बनाने के निर्देश महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित प्राचार्य दिग्दर्शिका में भी दिए गए हैं।

महाविद्यालयों की आंतरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने एवं महाविद्यालयों में अच्छा बौद्धिक वातावरण निर्मित करने में शैक्षणिक स्टाफ की भागीदारी आवश्यक है। अतः समय-सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि शिक्षक महाविद्यालय में कम से कम 07 घंटे उपस्थित रहें जिससे महाविद्यालय के शिक्षकों का सहयोग महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने, पाठ्येतर गतिविधियों एवं शासन से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के पालन तथा कार्यक्रमों के संचालन में लिया जा सके।

महाविद्यालय के लिए संकायवार, कक्षावार, शिक्षकवार व कक्ष क्रमांकवार समय-सारणी तैयार कर उसकी एक प्रति आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें तथा समय-सारणी की एक प्रति स्थानीय जनभागीदारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी उपलब्ध कराई जाये ताकि वे महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर यह जांच कर सकें कि महाविद्यालय के शिक्षक समय-सारणी अनुसार कक्षाएँ ले रहे हैं अथवा नहीं तथा समय-सारणी अनुसार कक्षाएँ नहीं लेने वाले शिक्षकों की जानकारी प्राचार्य को दे सकें। सुलभ संदर्भ हेतु समय-सारणी के प्रारूप संलग्न प्रेषित किए जा रहे हैं।

(श्रीमती आभा अस्थाना)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र.607/आउशि/शाखा-1/99,

भोपाल, दिनांक: 11.03.99

प्रतिलिपि -

- (1) समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

(श्रीमती आभा अस्थाना)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

क्रमांक : एफ 24-2/38/-2/2000

भोपाल, दिनांक 21.01.2000

प्रति,

समस्त अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय (म.प्र.)

विषय : जनभागीदारी समिति योजना की समीक्षा।

- संदर्भ:** (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 321/आउशि/शा-1/99
(2) फैक्स पत्र क्रमांक 565/आउशि/शा-1/99 दिनांक 06.03.99
(3) पत्र क्रमांक 644/695/आउशि/शा-1/99 दिनांक 17.03.99

जनभागीदारी समिति योजना, विभाग की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, जिसकी नियमित समीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। समीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आवश्यक है। इस हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 4628/आउशि/शा-1/98 दिनांक 24.12.98 द्वारा समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को निर्धारित प्रपत्र में जनभागीदारी समितियों से संबंधित अर्द्धवार्षिक जानकारी प्रतिवर्ष, जनवरी एवं जुलाई माह में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु अनेक महाविद्यालयों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

2. योजना की समीक्षा हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक बैठक दिनांक 08.02.90 को आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवाही विवरण संदर्भितपत्र क्रमांक 1 द्वारा प्रेषित करते हुए आपसे विवरण में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी समय-सीमा में चाही गई थी। इस संबंध में स्मरण पत्र संदर्भित पत्र क्र. 2 एवं 3 द्वारा भेजा गया था। यद्यपि कुछ महाविद्यालयों की जानकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों द्वारा भेजी गई है, किन्तु प्राप्त जानकारी अपूर्ण है एवं एकजाई रूप से तैयार कर उपलब्ध नहीं कराई गई है। दिनांक 08.02.99 को आयोजित बैठक में कार्यवाही विवरण की छायाप्रति पुनः संलग्न कर लेख है कि :-

- (1) संभाग स्तर पर जनभागीदारी समिति की नियमित रूप से समीक्षा कर समीक्षात्मक रिपोर्ट आयुक्त, उच्च शिक्षा उप सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को हर दो माह में प्रेषित करें।
- (2) जिन महाविद्यालयों में अध्यक्ष का मनोनयन होने के पश्चात् भी पंजीयन की कार्यवाही नहीं हुई है, वहां पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत करायें, तथा जिन महाविद्यालयों में पंजीयन हो चुका है उसकी सूची प्रेषित करें।
- (3) जिन महाविद्यालयों में अध्यक्ष से त्यागपत्र अथवा शासन के किसी निर्देश के कारण पंजीयन नहीं हो सकता है, उसके संबंध में शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर तत्काल पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
- (4) समस्त महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे-
- (5) क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति की बैठकों के संबंध में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करें तथा इन बैठकों में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में भी कभी-कभी उपस्थित रहें।
- (6) जनभागीदारी समिति की नियमावली के अनुसार जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र के विधायक या उनके नामांकित प्रतिनिधि

भी समिति के सदस्य होंगे। अतः समिति की नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वर्तमान विधायक को इस संबंध में सूचित कर, समिति की बैठक में भाग लेने अथवा अपना प्रतिनिधि नामांकित करने हेतु अनुरोध करने के निर्देश महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित किए जाएं।

- (7) समिति की नियमावली के अनुसार नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दो साल होगा तथा नामांकित सदस्यों को पुनः मनोनयन की पात्रता होगी। अतः यदि नामांकित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष पूर्ण हो गया हो तो नए सदस्यों का नामांकन पुराने सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही की बिन्दुवार एकजाई जानकारी आयुक्त, कार्यालय को दिनांक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं।

(डॉ. आर. रत्नेश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 24-2/38-2/2000

भोपाल, दिनांक 21.01-2000

प्रतिलिपि -

- (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
- (2) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक/23-15/38-2/2000

भोपाल, दिनांक 30.05.2000

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

म.प्र.।

विषय: महाविद्यालय के विद्यार्थियों से फीस एकत्रित करने के संबंध में।

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों का लेखन महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करेंगे, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाने/बढ़ाने और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करने तथा जुटाये गए संसाधनों का उपयोग जनसहयोग के जरिए महाविद्यालयों में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

2. समिति के माध्यम से अनेक महाविद्यालयों ने संसाधन एकत्रित किए हैं। जिनका उपयोग महाविद्यालयों के विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है कि महाविद्यालयों को जनभागीदारी प्रबंध समितियों स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फीस बढ़ाने का निर्णय लेने एवं बढ़ी हुई फीस का उपयोग अपने महाविद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सक्षम है। तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(सी.एस. चड्ढा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल**

क्रमांक 1027/आउशि/शाखा-1/2000

भोपाल, दिनांक 05.06.2000

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश।

विषय: जनभागीदारी समिति की नियमित रूप से बैठक किए जाने बाबत।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्र. 4628/आउशि/शाखा-1/98, दिनांक 24.12.98 एवं उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 24-2/38-2/2000, दिनांक 21.01.2000.

शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों का गठन किया गया है। जनभागीदारी समिति की नियमावली के अनुसार आवश्यकतानुसार समिति की सामान्य परिषद एवं प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जा सकते हैं किन्तु समिति की सामान्य परिषद की बैठक का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार एवं प्रबंध समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम जनभागीदारी समिति की चार बैठकें आयोजित होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2000 को आयोजित की गई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा इस संबंध में चर्चा करते हुए जनभागीदारी समिति की नियमित बैठकें बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में सूचना समस्त महाविद्यालयों को जारी करने हेतु निर्देश दिए हैं।

महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होते हैं अतः अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य को कृपया इस संबंध में पुनः निर्देश प्रसारित करें कि वे जनभागीदारी समिति की नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

(आर. टाण्डेकर)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 1028/आउशि/शाखा-1/2000

भोपाल, दिनांक 05.06.2000

प्रतिलिपि -

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डीपीएस), उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर पत्र क्र. 1617/1199/आउशि/शाखा-7/2000, दिनांक 12.05.2000 के साथ संलग्न विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 15.02.2000 के एजेन्डा क्रमांक 2 में बिन्दु क्रमांक 3 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. प्रमिला मैनी)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

**मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2000

क्रमांक एफ-24/1/98/38-2 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 73-6/96-सी 3:38 दिनांक 30.9.96 की कंडिका 'ग' में मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर संबंधित नगर निकाय, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद को मनोनीत करने का प्रावधान है, किन्तु उक्त आदेश में अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित नहीं होने के परिणाम स्वरूप महाविद्यालयों से इस संबंध में बार-बार स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष उसी प्रकार के जनप्रतिनिधि होंगे जिस प्रकार पूर्व आदेश में उल्लेखित है, किन्तु उनका कार्यकाल उनके उक्त पद पर जनप्रतिनिधि बने रहने तक ही रहेगा। यदि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि पद से पृथक हो जाते हैं तो उनका जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. आर. रत्नेश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 24-1/98/38-2

भोपाल, दिनांक 27.7.2000

प्रतिलिपि -

- (1) निज सचिव,
मान. मंत्री जी
प्रभारी मंत्री जिला म.प्र.।
- (2) आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
- (3) कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.।
- (4) क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं प्राचार्य को निर्देश पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।
- (5) उप नियंत्रक शा. केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं पत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित।

(डॉ. आर. उत्नेश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्र. 1781/नं.7/आउशि/शा-1/जन.वि./2000,

भोपाल, दिनांक 26.08.2000

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: जनभागीदारी समिति योजना के समीक्षा बावत, जानकारी उपलब्ध कराना।

सन्दर्भ: उच सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 24-2/38-2/2000, दिनांक 21.2.2000

उपयुक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति का कृपया अवलोकन करना चाहें। जिसमें आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों से संबंधित अर्द्धवार्षिकी जानकारी प्रतिवर्ष अर्थात माह जनवरी एवं जुलाई में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं, किन्तु जुलाई माह व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

2. प्रायः यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जानकारी एकजाई रूप से तैयार न करते हुए सीधे प्राचार्यों की जानकारी संलग्न कर भेज दी जाती है। यह उचित नहीं है। अतः कृपया क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात एकजाई रूप से तैयार कर, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. कृपया उपरोक्त जानकारी पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एवं माननीय मंत्री जी को समिति की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी से अवगत कराया जावे। कृपया समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त संचालक (पी.एम.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्र. 1782/नं.7/आउशि/शा-1/जन.वि./2000,

भोपाल, दिनांक 26.08.2000

प्रतिलिपि -

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
 2. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (पी.एम.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12.4.2001

क्रमांक 718/18/38-2/2001 :: जनभागीदारी समितियों द्वारा एकत्रित धनराशि से शासकीय भूमि पर भवन निर्माण, विद्यमान भवन का विस्तार तथा रख-रखाव का कार्य जनभागीदारी समितियों के द्वारा ही निजी निर्माण/रख-रखाव एजेन्सीज के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 719/18/38-2/2001

भोपाल, दिनांक 12.4.2001

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. समस्त प्राचार्य, म.प्र.।
3. सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

क्रमांक 178//38-2/2001

भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्राचार्य,

.....
.....

विषय: स्ववित्तीय आधार पर विधि पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु योजना।

शासन ने निर्णय लिया है कि विधि पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजना के आधार पर संचालित करने हेतु योजना तैयार की जाए, इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से फीस नहीं लेने का प्रावधान रखा जाए।

- (2) उपरोक्त शासनादेश के परिपालन में निर्देश दिए जाते हैं कि महाविद्यालयों के उपलब्ध भवनों में जनभागीदारी समिति के माध्यम से अलग पाली में विधि महाविद्यालय चलाने संबंधी व्यवस्था पूर्ण रूप से स्ववित्तीय आधार पर की जाए।
- (3) बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा विधि के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति का पूरा ध्यान रखा जाए। विशेष रूप से -
 1. विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रत्येक कक्षाओं में अधिकतम 320 तथा कक्षा के प्रत्येक वर्ष में 80 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाए।
 2. महाविद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात 1:40 रखा जाए।
 3. तीनों वर्षों की कक्षाएँ चलाने के लिए कम से कम 04 ऐसे पूर्णकालिक शिक्षक अथवा ऐसे प्रत्याशी जिन्हें कम से कम 5 साल का विधि अध्यापन का अनुभव हो, जनभागीदारी समिति माध्यम से नियुक्त किया जाए।
 4. समुचित फर्नीचर की व्यवस्था मुख्य महाविद्यालयों से ही शेयर बैसेस पर प्राप्त करें।
 5. मुख्य महाविद्यालय की लायब्रेरी में ही सभी पुस्तक क्र कर विधि के विद्यार्थियों की पुस्तकालय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करें।
- (4) जहां तक विधि महाविद्यालय के प्राचार्य/मुख्यलिपिक/लेखापाल/उच्च श्रेणी लिपिक/निम्न श्रेणी लिपिक/भृत्य/चौकीदार एवं स्वीपर को मुख्य महाविद्यालयों से ही शेयर बैसेस पर अतिरिक्त समय हेतु अतिरिक्त भुगतान निर्धारित करते हुए संचालित करें।
- (5) महाविद्यालय की इस अतिरिक्त पानी की आवश्यकतानुसार डाक, तार, बिजली, पानी, दूरभाष, लेखन सामग्री आदि सभी व्यय स्ववित्तीय रूप से उठाने होंगे।
- (6) उपरोक्त समस्त अधोसंचना हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था जनभागीदारी समिति के माध्यम से की जाये, क्योंकि शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से फीस नहीं ली जानी है। अतः शेष सामान्य वर्ग के छात्रों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हिस्से की भी फीस ली जानी होगी, जिसका आंकलन आपको अपने महाविद्यालय में विभिन्न वर्ग के छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए करना होगा।
- (7) यदि उपरोक्तानुसार विधि की अध्यापन व्यवस्था स्ववित्तीय रूप से संचालित की जा सकती है तभी अपने सत्र से अपने महाविद्यालय में विधि महाविद्यालय को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव दें।

- (8) यदि उपरोक्त योजनानुसार विधि की अध्यापन व्यवस्था स्ववित्तीय रूप से संभव नहीं है तब वर्तमान में संचालित विधि संकाय बन्द करने संबंधी निर्णय लिया जावेगा। ऐसी स्थिति में आपके महाविद्यालय के विधि शिक्षक एवं पुस्तकें आदि उन महाविद्यालय को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे जो जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर विधि महाविद्यालय आरंभ करने के इच्छुक होंगे।
- (9) कृपया उपरोक्त योजनानुसार अपने महाविद्यालय में विधि शिक्षा एवं उससे संबंधित अधोसंरचना का स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर सुनिश्चित प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करें।

(सी.एस.चट्टा)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 178//38-2/2001

भोपाल, दिनांक 28.3.2001

प्रतिलिपि -

1. श्री मनोहर दुबे, मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर की ओर दिनांक 19.01.2001 को भेजी गई नोटशीट के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

क्रमांक 23/2189/98/38-2

भोपाल, दिनांक 03.7.98

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: विधि कक्षाओं में सत्र 98-99 से ली जाने वाली धनराशि।

विधि कक्षाओं में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षण सत्र 98-99 से समूचे प्रदेश में विधि संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से रुपये 100/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी धनराशि ली जाए। इस राशि में से रुपये 12/- प्रतिमाह निर्धारित शिक्षण शुल्क शासकीय मद में जमा करने के पश्चात शेष राशि अशासकीय मद में जमा की जाए। जिसका उपयोग विधि कक्षाओं में अंशकालीन व्याख्याताओं को दिए जाने वाले मानदेय, कक्षाओं के लिए फर्नीचर, विधि जरनल, पुस्तकों इत्यादि के लिए किया जाए।

वर्तमान में विधि द्वितीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों से आगामी दो वर्षों तक तथा विधि तृतीय वर्ष एवं एल.एल.एम. उत्तरार्द्ध में अध्ययनरत विद्यार्थियों से आगामी एक वर्ष तक पूर्व निर्धारित दर पर ही शुल्क लिया जाएगा।

शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.पी.भट्ट)

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्र. 23/2190/38-2/98

भोपाल, दिनांक 03.07.98

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 5. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य बार कौन्सिल, भोपाल।
- की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी.पी. भट्ट)

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

:: आदेश ::

क्रमांक 1837/2977/2001/38-2

भोपाल, दिनांक 5.10.2001

जनभागीदारी समिति द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्धि एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों की अनुमति देने के संबंध में राज्य शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि —

- (1) महाविद्यालयीन शिक्षण शुल्क की दरें जो पिछले कई वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई हैं, उसे पुनरीक्षित करने/वृद्धि करने का अधिकार संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को होगा।
- (2) शिक्षण शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण राशि संबंधित महाविद्यालय के विकास हेतु उक्त महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को सौंप दी जायेगी।
- (3) किसी भी महाविद्यालय में स्ववित्तीय आधार पर कोई व्यावसायिक अथवा अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति देने का अधिकार संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को होगा। ऐसे पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण का कार्य भी जनभागीदारी समिति द्वारा किया जायेगा।
- (4) स्ववित्तीय आधार पर प्रारंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की शिक्षण व्यवस्था हेतु संविदा के आधार पर शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की संविदा नियुक्ति/कार्यकाल एवं मानदेय का निर्धारण भी जनभागीदारी समिति द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 1837/2977/2001/38-2

भोपाल, दिनांक 5.10.2001

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति।
3. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के निज सहायक, मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी म.प्र. भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निज सहायक।
6. आयुक्त, उ.शि. के निज सहायक सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. समस्त जिला अध्यक्ष, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
9. समस्त प्राचार्य, म.प्र.।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.10.2001

क्रमांक 1999/2510/38-2/2001 :: राज्य शासन द्वारा शा. कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पी.जी. स्तर पर सामाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की कक्षाएँ वर्ष 2001-02 से प्रारंभ करने के निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

1. अतिरिक्त शिक्षकों (यदि कार्यभार के अनुसार आवश्यक हो) की व्यवस्था स्ववित्तीय/जनभागीदारी समिति योजना से की जायेगी।
2. महाविद्यालय स्ववित्तीय राशि के आय-व्यय का लेखा संधारण पृथक से करेगा एवं नियमित अंकेक्षण कराया जावेगा।
3. इन विषयों के भविष्य में सतत् संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की मांग आकस्मिकता निधि में वृद्धि की मांग अथवा पद निर्माण के प्रस्ताव नहीं भेजे जायेंगे।
4. यदि किसी संस्था से संवैधानिक तकनीकी स्वीकृति लेनी हो तो संस्था स्वयं लेगी।

शासन इन विषयों के संचालन पर किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा। शासन अपेक्षा करता है कि उपरोक्त शर्तों का पालन करते हुए स्ववित्तीय योजना से विषयों का अध्यापन निरंतर पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जावेगा। इन शर्तों की पूर्ति हो रही है तथा आय-व्यय के अनुमान का ब्यौरा शासन की अनुमति मिलने के एक माह के अंदर भेजना होगा, जिसके अभाव में अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उच्च सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 2000/2510/38-2/2001

भोपाल, दिनांक 19.10.2001

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. कुलपति संबंधित विश्वविद्यालय म.प्र.।
4. संबंधित क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
5. प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

क्रमांक 1098/38-2/2002

भोपाल, दिनांक 4/5/2002

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: स्ववित्तीय आधार पर व्यावसायिक तथा अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बावत्।

आदेश क्र. 1837/2977/38-2, दिनांक 5.10.01 द्वारा स्ववित्तीय आधार पर व्यावसायिक अथवा अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने का अधिकार संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को दिया गया है।

नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये-

- (1) जिस नये पाठ्यक्रम खोलने का प्रस्ताव बनाये, सुनिश्चित कर लें कि उस विषय पर संबंधित विश्वविद्यालय में आरडिनेन्स पास है।
- (2) विषय प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किन-किन संसाधनों जैसे कक्ष, फर्नीचर, पुस्तकें, उपकरण तथा संविदा के आधार किन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी।
- (3) विश्वविद्यालय को कितना संबद्धता शुल्क देना होगा।
- (4) विषय में प्रवेश हेतु कितने स्थान रखे जावेंगे।
- (5) प्रति विद्यार्थी से कितना शुल्क लिया जावेगा।
- (6) शुल्क से कितनी राशि प्राप्त होगी।
- (7) आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि किस-किस प्रयोजन हेतु किस हिसाब से खर्च की जावेगी।
- (8) अनुमानित आय व्यय पत्रक बना लें।
- (9) तीन वर्ष पाठ्यक्रम चलाने हेतु सम्पूर्ण प्रस्ताव बनाकर जनभागीदारी समिति से अनुमति प्राप्त कर लें।
- (10) जनभागीदारी समिति से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयुक्त, उ.शि. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जनभागीदारी समिति के सम्मुख रखे गए प्रस्ताव तथा जनभागीदारी समिति से प्राप्त अनुमति संलग्न करते हुए, आवेदन करें।
- (11) आयुक्त, उ.शि. से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय से उस विषय हेतु संबद्धता प्राप्त करें।

(डॉ. कीर्ति सक्सेना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 1098/38-2/2002

भोपाल, दिनांक 4.5.2002

प्रतिलिपि -

- (1) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) समस्त विश्वविद्यालय के कुल सचिवों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय**

क्रमांक एफ- 24-3/2002/2/अड़तीस

भोपाल, दिनांक 25 जून 2002.

प्रति,

आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल,
सभी संभागीय कमिश्नर,
सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा,
सभी कलेक्टर,
सभी क्षेत्रीय जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय
सभी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय।

विषय: शिक्षण शुल्क को जनभागीदारी समितियों को सौंपना।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1837/2977/2001/38-2, दिनांक 5.10.2001 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षण शुल्क को पुनरीक्षित कर बढ़ाने के अधिकार जनभागीदारी समितियों को देते हुए निर्देश दिए गए हैं कि पूरी राशि संबंधित समिति को सौंप दी जायेगी।

इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षण शुल्क में प्रयोगशाला शुल्क, स्टेशनरी शुल्क और प्रवेश शुल्क भी शामिल है।

प्राचार्यगण से अपेक्षा है कि छात्रों से यह फीस (जिसे पूर्व में “शासकीय शुल्क” कहा जाता था) प्राप्त होने पर इसे सरकारी खजाने में जमा न करते हुए जनभागीदारी समितियों के खातों में जमा करायें।

(ए.एन. अस्थाना)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462004**

क्रमांक 482/238/आउशि/यो/03

भोपाल, दिनांक 19.05.03

प्रति,

अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर,
रीवा (मध्यप्रदेश)

विषय: जनभागीदारी समिति तथा यू.जी.सी. से प्राप्त राशि से क्रय के संबंध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि शासकीय महाविद्यालयों द्वारा राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का नियमित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर सामग्रियों के क्रय के संबंध में नियम तैयार कर सीधे क्रय की कार्यवाही कर रहे हैं और आरक्षित वस्तुओं की खरीद के संबंध में नियमानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को इन्डेन्ट नहीं भेज रहे हैं। यह कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों की अवहेलना है।

अतः अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करें कि क्रय करते समय मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-2 में निहित भण्डार क्रय नियम 114 तथा इसके संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(अजय नाथ)

आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 483/238/आउशि/यो/03

भोपाल, दिनांक 19.05.03

प्रतिलिपि -

समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। कृपया भण्डार क्रय नियम 114 के अनुसार ही क्रय की कार्यवाही करें।

(डॉ. अलका डेविड)

वि.क. अधिकारी, उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004**

क्रमांक 725/756/आउशि/शा-9/2004

भोपाल, दिनांक 17.3.2004

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: निःशक्त जनों को सुविधा में।

सूचित किया जाता है कि यदि आपके महाविद्यालय का स्वयं का भवन है और उसमें निःशक्त जनों की सुविधा (जैसे ढलबां रास्ते और व्हील चेयर के उपयोग की सुविधायुक्त शौचालय) हेतु व्यवस्था नहीं है तो महाविद्यालयीन जन भागीदारी समिति अथवा महाविद्यालय के स्वयं के अन्य संसाधनों से उक्त सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(डॉ. यू.एन. अधौलिया)

अतिरिक्त संचालक

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 726/756/आउशि/शा-9/2004

भोपाल, दिनांक 17.3.2004

प्रतिलिपि -

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर इस कार्यालय के ज्ञाप क्रमांक 2219/756/आउशि/शा-9/04 दिनांक 6.11.2003 के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आर.वी.), न्यायालय प्रकोष्ठ, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 299/195/आउशि/न्य.प्र./04 दिनांक 12.3.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(डॉ. यू.एन. अधौलिया)

अतिरिक्त संचालक

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

डॉक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
बि.पू.भु/04 भोपाल-03-05

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म.प्र. 108/भोपाल/03-05.

**मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित**

क्रमांक 274/ भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जून 2004-आषाढ़ 7, शक 1926

**उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 28 जून 2004

क्र. एफ-24-13-03-2-अड़तीस-इस विषय की अधिसूचना क्रमांक 24-13-03-2-अड़तीस, दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के पद पर संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। अब उक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुए, अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद या गणमान्य नागरिक में से नियुक्त किया जावेगा तथा इस सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि होगा। सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
कमलाकर सिंह, अपर सचिव

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2004

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक एफ 23-50/04/2-अड़तीस

भोपाल, दिनांक 29.1.2005

प्रति,

(1) आयुक्त
उ.शि., म.प्र.
भोपाल।

(2) प्राचार्य,
समस्त शासकीय/स्वशासी महाविद्यालय
(म.प्र.)

विषय: जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति बावत्।

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 73/6/96/सी-3/38, दिनांक 7.6.97 जो मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का ज्ञापन एवं विनियम के प्रारूप में संशोधन के संबंध में है, के साथ समिति का संशोधन ज्ञापन और विनियम संलग्न किया गया था तथा संलग्न विनियम की कण्डिका दो के नीचे सामान्य परिषद के अंतर्गत टीप में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था-

टीप- क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जायेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग की दिनांक 21.7.04 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयानुसार उपरोक्त टीप संशोधन के अनुसार निम्नानुसार पढ़ी जाए-

टीप- क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रतिनिधि नामजद किए जावेंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो।

(वीणा तैलंग)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18.4.05

क्रमांक एफ 19-5/05/02 अड़तीस :: एजुसेट सेटेलाइट के उपयोग, वर्चुअल कक्षाओं एवं इससे संबंधित समस्त कार्यों के लिए शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल में पूल फण्ड (सम्मिलित कोष) निर्मित किए जाने की अनुमति दी जाती है जिसे निम्नलिखित प्रक्रियानुसार संचालित किया जाएगा।

1. प्राचार्य शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोला जायेगा जिसे प्राचार्य शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल एवं आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।
2. इस खाते से संबंधित आय-व्यय और उस पर प्राप्त ब्याज का हिसाब रखने के लिए पृथक से कैश बुक एवं स्टॉक रजिस्टर संबंधित महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जायेगा।
3. इस पूल फण्ड (सम्मिलित कोष) में सभी संबंधित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय जनभागीदारी निधि, स्वशासी मद अथवा उन मदों से राशि जमा करेंगे जो बजट से संबंधित नहीं है।
4. किसी भी शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय को पूल फण्ड में कितनी राशि जमा करनी है इसके निर्देश आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा समय-समय पर दिए जायेंगे। महाविद्यालयों द्वारा बैंक ड्राफ्ट या चैक से राशि पूल फण्ड में स्थानांतरित की जायेगी। किसी भी स्थिति में नगद राशि नहीं भेजी जायेगी।
5. महाविद्यालय भोपाल 'के नाम पर बनाया जायेगा एवं उसे प्रोजेक्ट के लिए देय' लिखा जायेगा।
6. शासकीय महाविद्यालय यह ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्थिति में पूल फण्ड को भेजने हेतु राशि बजट की मदों से आहरित नहीं की जायेगी। इसी प्रकार अशासकीय महाविद्यालय शासन से प्राप्त अनुदान से राशि आहरित कर पूल फण्ड में नहीं भेजेंगे वे स्वयं के स्रोतों से तैयार की गई विधि से राशि भेजेंगे।
7. सभी महाविद्यालय पूल फण्ड को भेज जाने वाली राशि का हिसाब किताब अलग से संधारित करेंगे।
8. पूल फण्ड से एजुसेट प्रोजेक्ट के लिए व्यय एवं समस्त क्रय आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति उपरांत ही किया जायेगा

वीणा तैलग

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

पू. क्र. एफ 19-5/05/2- अड़तीस

प्रतिलिपी-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
2. आयुक्त उ.शि. संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ. शि. इंदौर/रीवा/ जबलपुर/ग्वालियर/ भोपाल संभाग।
4. प्राचार्य, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवाजी लगर भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ कि पूल फण्ड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।
5. समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 1181/735/आउशि/ शाखा-1/2006

भोपाल, दिनांक 5.6.2006

प्राचार्य,

समस्त शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश वर्ष 2006-07

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापक एवं अन्य शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों की समुचित व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जा रहे हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाय। गत वर्ष भी अध्यापन, शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गये थे। महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ हद तक निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की गई एवं तदनुसार शासन की अपेक्षानुसार गुणवत्ता में थोड़ा सुधार भी परिलक्षित हुआ लेकिन इस ओर अभी और गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। इस क्रम में वर्ष 2006-07 के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

(क) अध्यापन-

1. विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति नियमानुसार 75% होना सुनिश्चित किया जाय। शिक्षक गण अपनी कक्षाओं में प्रतिदिन उपस्थिति लें और यदि कोई विद्यार्थी लगातार 10 दिवस से ज्यादा अनुपस्थित होता है तो उसके पालक को सूचित किया जाये। ऐसा करने के बावजूद भी यदि विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता है और अंत में उसकी उपस्थिति 75% से कम होती है तो उसे परीक्षा में न बैठने दिया जाये। ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी उपस्थिति 75% से प्रतिमाह कम है उनके नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाय।
2. प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाये कि वे विभाग के समस्त शिक्षकों द्वारा सही समय में कक्षाएँ ली जा रही हैं, यह सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के शिक्षकों से साप्ताहिक टीचिंग का प्रोग्राम प्राप्त करें और सप्ताह के अंत में उक्त कार्यक्रम के अनुसार किये गये शिक्षक कार्य का प्रतिवेदन शिक्षकों से प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्राचार्य को प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन में यदि किसी शिक्षक ने कक्षा नहीं ली है अथवा अनुपस्थित रहें है तो उसकी सूचना भी प्राचार्य को दी जाये। साथ ही ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए संचालनालय को सूचित किया जाय।
3. कई महाविद्यालय में स्थानाभाव के कारण कक्षाएँ दो पारियों में चलती हैं। प्राचार्यों का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यालयीन समय में वह महाविद्यालय में तो उपस्थित रहेंगे ही, अन्य शिफ्ट में भी न्यूनतम एक घण्टा महाविद्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थिति रहेंगे, ताकि पूरे महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर उनका नियंत्रण बना रहे। इस संबंध में पूर्व में भी आदेश क्रमांक 965/आउशि/ शाखा-4/97, दिनांक 24-2-94 द्वारा निर्देश जारी किये गये।
4. प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को अपरान्ह में सभी विभागाध्यक्षों की एक बैठक बुलायें और उस माह में किये गये शैक्षणिक व अन्य कार्यों की समीक्षा करें। जहाँ कहीं त्रुटि नजर आती है। तो संबंधित विभागाध्यक्ष को उसके अगले महीने में सुधार करने के लिए निर्देशित किया जाये। बैठकों का कार्यवाही विवरण अनिवार्य रूप से बनाया जाय तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाय।
5. महाविद्यालयों में शिक्षक पालक योजना लागू करने के निर्देश शासन की ओर से पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। जिन महाविद्यालयों में शिक्षक पालक योजना अब तक लागू नहीं हुई है वहाँ इस योजना को लागू किया जाये और वर्ष में कम से कम 2 बार पालकों को बुलाकर उन्हें उनके पुत्र/पुत्री के बारे में जानकारी दी जाये।

6. देखा गया है कि कुछ महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के बाद प्रवेश का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अतः प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के पूर्व प्रवेश की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय ताकि महाविद्यालय प्रारंभ होते ही कक्षाएँ लगना प्रारंभ हो जाए।

(ख) ट्यूशन के संबंध में निर्देश-

राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। इसके उल्लंघन की स्थिति में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक प्राचार्य अपने महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षकों की एक समिति बनाये, जो ट्यूशन की प्रथा पर नियंत्रण रखने में प्राचार्य की मदद करे और प्राचार्य के निर्देशानुसार यदि उन्हें कहीं से सूचना मिलती है कि कोई शिक्षक प्रायवेट कोचिंग में अंतरलिप्त है तो उसका अचानक निरीक्षण किया जाये और प्राचार्य को उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। यह प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा कि इस प्रकार के पूरे प्रकरण बनाकर अपने क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से शासन तक पहुँचाये। इस संबंध में पूर्व में भी आदेश क्रमांक एफ 10044/367/30/2/86 दिनांक 17-7-86 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

(ग) डेली डायरी-

प्रत्येक शिक्षक नियमित डायरी संधारित करेंगे जिसमें उसके द्वारा पढ़ाये गये विषयों की संक्षिप्त जानकारी दी जायेगी। शिक्षक द्वारा पूरे वर्ष का शिक्षण कार्यक्रम बनाया जायेगा एवं अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राचार्य के पास जमा किया जायेगा। शिक्षण कार्य के दौरान प्राचार्य या उसके प्रतिनिधि इस बात का निरीक्षण करेंगे कि संबंधित शिक्षक प्रस्ताव के अनुसार अपनी नियमित कक्षाएँ ले रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षक का यह भी उत्तादायित्व होगा कि प्रत्येक दिवस को ली जाने वाली कक्षाओं में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, दर्ज किया जाय। डायरी के अतिरिक्त नियमित रूप से उपस्थित रजिस्टर में भी विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमानुसार दर्ज की जायेगी।

(घ) अन्य गतिविधियाँ-

सभी शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाये। सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.05.2004 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं। **क्रीड़ा अधिकारी भी अपना दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, जिसकी प्रविष्टि डायरी के रूप में करेंगे और सप्ताह में एक बार इस डायरी का अवलोकन प्राचार्य को करायेंगे।** खेलकूद की गतिविधियों के कुशल संचालन हेतु प्राचार्य द्वारा एक समिति बनाई जाये जिसमें प्रत्येक खेल का एक प्रभारी तथा दो सदस्य शिक्षकों का मानोनयन किया जाय और उन्हें निर्देशित किया जाय कि संबंधित खेल गतिविधियों के समय वह क्रीड़ा प्रांगण में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। शासन द्वारा जारी खेलकूद कैलेण्डर का पालन करें। इस संदर्भ में संचालनालय के पत्र क्रमांक 603/1171/ आउशि/ शा.-1/ 04 दिनांक 5-5-04 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

खेलकूद के साथ-साथ विशेष रूप से छात्राओं के लिए जूडो कराटे की गतिविधियाँ भी आयोजित की जाय।

सांस्कृतिक गतिविधियों से विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, परन्तु इस संबंध में विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वार्षिकोत्सव के नाम पर फैशन शो कदापि आयोजित न किए जाय। विद्यार्थियों की ओर से आने वाली इस प्रकार की मांग को पूर्णतया हतोत्साहित किया जाय एवं उच्च अकादमिक स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, वाद विवाद, संगीत प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की जाय।

(ङ) पुस्तकालय-

किसी भी शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालय का विशेष महत्व है और उसमें उपलब्ध पुस्तकें शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। अध्यापक के लिये उत्कृष्ट एवं अपने विषय के प्रसिद्ध लेखकों को स्तरीय पुस्तकें क्रय की जाय। विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में पुस्तकालय के अंदर या पुस्तकालय से लगा हुआ रीडिंग रूम बनाया जाय। रीडिंग रूम में विद्यार्थियों को समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई जाये।

यथा संभव पुस्तकालय में एक फोटोकॉपीयर की व्यवस्था की जाय। लायब्रेरी आटोमिशन के लिए 88 महाविद्यालय चिन्हित किए गए थे, जिनमें अनिवार्य रूप से आटोमिशन पूरा कर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। यह सुनिश्चित किया जाय कि लायब्रेरी आटोमिशन के लिए चिन्हित महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लायब्रेरी संचालित की जाय।

(च) सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रवीण शिक्षकों की जानकारी-

हमारे महाविद्यालयों में ऐसे भी शिक्षक हैं उत्कृष्ट अध्यापक होने के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रवीण हैं। ऐसे शिक्षकों की एक सूची बनाई जाय और सूचना पटल पर लगाई जाय ताकि उनकी उस प्रतिभा का लाभ विद्यार्थी ले सकें।

(छ) शिक्षण कार्य हेतु वैज्ञानिक साधनों का उपयोग-

अनेक महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें शैक्षणिक कार्य हेतु बहुत से उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे ओव्हरहेड, कम्प्यूटर इंटरनेट आदि। जिन महाविद्यालयों में ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, उनका समुचित उपयोग किया जाय ताकि उनके उपयोग के साथ-साथ विद्यार्थियों को वर्तमान टेक्नालॉजी का भी ज्ञान हो।

(ज) सेमिनार, सिम्पोजियम एवं वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन-

किसी भी शिक्षण संस्था में यदि सेमिनार और सिम्पोजियम का आयोजन न हो तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेमिनार और सिम्पोजियम के लिए अनुदान दिया जाता है। शासन स्तर पर मेपकास्ट द्वारा भी इस कार्य हेतु अनुदान दिया जाता है। अतः प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार सेमिनार और सिम्पोजियम का भी आयोजन करें। यदि उपरोक्त वर्णित संस्थानों द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो प्राचार्य गण महाविद्यालय के स्रोतों से महाविद्यालयीन स्तर पर सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करें।

प्रत्येक महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करेगा, जिसमें वर्ष भर की शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों, परीक्षा परिणाम एवं रोजगार प्राप्त विद्यार्थियों की जानकारी प्रकाशित की जायेगी। यदि राशि की कमी हो तो हस्तलिखित पत्रिका छायाप्रति कराकर प्रकाशित की जा सकती है। गत वर्ष अनेक महाविद्यालयों ने इस दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है।

सामान्य विषय जो सामाजिक एवं नैतिक उत्थान से संबंधित हैं, उन पर भी सेमिनार सिम्पोजियम, संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जा सकता है, इसके लिए कुछ विषय उदाहरण तौर पर निम्नानुसार हो सकते हैं-

- (1) बालिकाओं का घटना अनुपात-एक चिंतनीय विषय।
- (2) भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन।
- (3) विद्यार्थियों एवं युवाओं में तम्बाकू सेवन की बढ़ती बुरी आदत।
- (4) क्या शहर को गंदगी एवं पॉलीथीन से मुक्त किया जा सकता है?
- (5) महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा एवं बढ़ते अपराध में दूरदर्शन एवं निजी चैनलों की भूमिका।
- (7) सामाजिक एकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवार की आवश्यकता।
- (8) अन्य महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्याओं से संबंधित विषय जैसे, पर्यावरण का महत्व, जलाभिषेक अभियान, मानव अधिकार, सूचना का अधिकार आदि।

(झ) अनुशासन-

किसी भी शिक्षण संस्था का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने विद्यार्थियों को अनुशासित रखें शिक्षण संस्था में बाहर के व्यक्तियों की बिना कार्य के उपस्थिति वर्जित होना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो बस स्टाप या रेल्वे स्टेशन के पास होती हैं, में बस स्टाप या रेल्वे स्टेशन पर भ्रमण करने वाले व्यक्ति अक्सर महाविद्यालय में भ्रमण करते पाये जाते हैं। कृपया इस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाये। यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मदद ली जाय।

(ट) परीक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा परिणाम-

प्रदेश में 18 शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित किए गए हैं और 08 शासकीय महाविद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में संचालित हैं। इन महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा प्रणाली लागू है। अध्यापन एवं परीक्षाओं के संचालन हेतु विश्वविद्यालय की समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

प्रत्येक महाविद्यालय में परीक्षा परिणामों का कक्षावार रिकार्ड रखा जायेगा एवं उसकी समीक्षा की जायेगी महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान परीक्षा परिणामों की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

(ठ) वोकेशनल कोर्स, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त विद्यार्थियों का रिकार्ड तैयार करना-

महाविद्यालयीन शिक्षा का महत्व उसी स्थिति में है जब विद्यार्थियों को रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो। निरीक्षण एवं बैठकों के दौरान यह देखने में आया कि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने के बारे में कोई विश्वसनीय रिकार्ड संधारित नहीं हैं गत वर्ष प्रत्येक महाविद्यालय में इस बारे में विश्वनीय रिकार्ड संधारित करने के निर्देश दिए गए थे किन्तु निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कई महाविद्यालयों ने इस पर समुचित कार्यवाही नहीं की। इस वर्ष यह कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाय।

अनेक महाविद्यालयों में वोकेशनल एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम यू जी सी, जनभागीदारी अथवा स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों की जानकारी अपडेट करने के लिय विभाग की वेब साइट में प्रावधान किया गया है एवं एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। महाविद्यालयों को अपने कॉलेज कोड को यूजरनेम तथा पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए इस जानकारी को निरंतर अपडेट करना है।

इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के लिए पर्यावरण शिक्षा संबन्ध प्रशिक्षण प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए प्रयोगशाला कार्यों में दक्षता संबन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक

- (1) 1004/आउशि/1111/योजना/04 दिनांक 18.11.04
- (2) 1006/आउशि/912/योजना/04 दिनांक 18.11.04 एवं
- (3) क्रमांक 1008/06/टीएल/आउशि/ योजना/ 04 दिनांक 18.11.04
- (4) प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 222/ प्र.स/उशि/ 06 दिनांक 02.06.2006 द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही की जाए। छात्र/छात्रा इग्नू के पाठ्यक्रम का चुनाव अपनी अभिरूचि के अनुरूप कर सकते हैं। इसमें भाग लेना एच्छिक है इसमें पंजीकृत छात्रों एवं लाभान्वितों की जानकारी भी भेजी जाय।

महाविद्यालयों में कई प्रकार से वोकेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं ये वोकेशनल कोर्स यू.जी.सी. की सहायता से स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत अथवा जनभागीदारी के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। गतवर्षों में यह देखने में आया कि बगैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति के बिना वोकेशनल कोर्स संचालित किए गए जिससे बाद में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होने अथवा विद्यार्थियों को अंक सूची आदि प्राप्त होने में कठिनाईयां आई हैं **अतः वोकेशनल कोर्स विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त होने तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति के उपरांत ही संचालित किए जाएं।** स्वशासी महाविद्यालयों में जो सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये गये हैं उनकी विधिवत अनुमति संक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

(ड) ऑन लाइन फार्म के माध्यम से जानकारीयों का अपडेशन-

महाविद्यालयों से संबंधित प्रमुख जानकारीयों को अपडेट करने के लिए वेब साइट पर फार्म उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे-

- (1) विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी।
- (2) यू जी सी ग्रांट की मॉनिटरिंग।
- (3) वोकेशनल पाठ्यक्रमों की जानकारी को अद्यतन करना।
- (4) पदस्थापना एवं प्रतिनियुक्ति की जानकारी

यह पाया गया है कि महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर यथा समय जानकारीयों को अपडेट नहीं किया जाता है। वेब साइट के माध्यम से जिन जानकारीयों को अपडेट करना है उसके लिए कॉलेज कोड को यूजरनेम तथा पासवर्ड के रूप में उपयोग करते हुए जानकारी को निरंतर अपडेट करना है। स्पाउस तथा पोस्टिंग एवं डेपुटेशन की जानकारी भरने के लिए पिन नंबर को यूजरनेम तथा पासवर्ड के रूप में उपयोग करना है।

समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण पत्रों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से इंटरनेट चलाया जाए, उपलब्ध परिपत्रों को डाउनलोड किया जाए एवं इनका पालन सुनिश्चित किया जाय।

(ढ) महाविद्यालयों में प्लेसमेन्ट तथा काउन्सिलिंग सेल की स्थापना -

इस विषय में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1560/आउशि/कम्प्यूटर/2004 दिनांक 02.09.2004 द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(त) निरीक्षण:-

प्रत्येक जिले के शासकीय महाविद्यालय में इस परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अध्ययन-अध्यापन का निरीक्षण उनके जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य निरीक्षण के दौरान यदि कोई त्रुटियाँ या लापरवाही पाते हैं तो उसका एक प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को देंगे। अग्रणी महाविद्यालय का निरीक्षण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक या उनके नाम निर्देशित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(थ) गाँव की बेटी योजना-

1. सत्र 2006-07 में स्नातक द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन सभी छात्राओं को “गाँव की बेटी” योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्हें प्रथम वर्ष में पात्र पाया गया था एवं उन्होंने स्नातक द्वितीय वर्ष में संस्था में नियमित अध्ययन जारी रखा है।
2. वर्ष 2006-07 में प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की उन सभी छात्राओं से गाँव की बेटी योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करेंगे जिन्होंने
 1. सत्र 2006-2007 में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया है।
 2. बारहवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में मध्यप्रदेश के गाँव की पाठशाला या नगर पंचायत की पाठशाला से सर्वाधिक अंक हासिल कर उत्तीर्ण की हो।
 3. छात्रा गाँव की निवासी हो।
 4. ऐसी समस्त छात्राएँ जो उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार पात्र है उनसे संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरवाया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ भी संलग्न की जाएंगी।
3. छात्राओं को प्रवेश के समय ही यह जानकारी दी जाए कि गाँव की बेटी योजना के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी—
 - (1) 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास अंक सूची की प्रतिलिपी
 - (2) गाँव के निवासी होने का सरपंच का प्रमाण पत्र
 - (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अग्रेषित आवेदन पत्र

नोट: गाँव के निवासी होने का सरपंच का प्रमाण पत्र एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अग्रेषित फार्म जमा करने जमा करने की जिम्मेदारी छात्रा की होगी यह जानकारी प्रवेश के समय ही छात्राओं को जायेगी।

(द) अन्य-

1. विद्यार्थी एवं यूवा वर्ग में तम्बाकू के सेवन की बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं एवं उनका भविष्य इस बुरी आदत से अंधकारमय हो सकता है। अतः इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में 21 जुलाई को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाय तथा विद्यार्थियों एवं समाज को तम्बाकू के सेवन से बचाने के लिए कारगर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस संबंध में गत वर्ष विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए गए हैं।
2. बालिकाओं की घटती संख्या (0000000000 000000 000000) एक चिंताजनक विषय है, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग का यह दायित्व बनता है कि इस विषय में समाज में जागरूकता लाई जाए। अतः

इस संबंध में प्रत्येक महाविद्यालय में एन एस एस् युवा-उत्सव में कार्यक्रमों, पोस्टर, बैनर, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान आयोजित किये जाएँ।

3. प्राचार्य की अनुपस्थिति में अथवा उसके स्थानांतरण/पदोन्नति/ सेवानिवृत्ति/ अवकाश पर होने पर वरिष्ठतम शिक्षक को ही प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया जाये। इस संबंध में पूर्व में भी आदेश क्रमांक 61/उशिसं/ प्राक/93 दिनांक 6-1-93 आदेश क्रमांक एफ 73/29/92/ ए-1/38 दिनांक 5-11-92 तथा आदेश क्रमांक 2291/38-1/91 दिनांक 3-9-91 के द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं।

नोट:-

1. ऐसे महाविद्यालय जो यू.जी.सी. एक्ट धारा 20, 120 में पंजीयत नहीं हैं, उन महाविद्यालयों का आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उनके द्वारा पंजीयन के लिए क्या कार्यवाही की गई एवं यू जी सी में पंजीयन हुआ अथवा नहीं।
2. प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में एक शोध पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, इसके लिए पृथक से कोई विशेष सुविधा या अवकाश देय नहीं होगा। इस कार्य से शिक्षण कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। शिक्षण कार्य पूर्ण समय करने के पश्चात शोध कार्य किया जाना होगा।
3. इस ज्ञाप की प्रतिलिपि समस्त प्राध्यापकों को उपलब्ध कराना प्राचार्य का दायित्व होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सहायक प्राध्यापक/ प्राध्यापक को इस ज्ञाप की प्रतिलिपि प्राप्त हो एवं उसकी पावती उनके कार्यालय में एकजाई रूप से संधारित की जाए।
4. यह ज्ञाप इंटरनेट पर भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसे एक्रोब्रेट रीडर के माध्यम से पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।
5. प्राचार्य स्वयं प्रतिदिन कुछ कक्षाओं में पढ़ाएं।

हस्ता/

(एस डी अग्रवाल)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1182/735/ आउशि/ शाखा-1/2006

भोपाल, दिनांक 5.6.2006

प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्य मंत्रीजी, (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा म.प्र.शासन के निज सहायक को मंत्री जी की सूचना हेतु।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ आफिसर।
3. समस्त अतिरिक्त संचालन, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. को महाविद्यालयों में पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. संबंधित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र में जारी किए गए निर्देशों के पालन को महाविद्यालयों में सुनिश्चित कराएं तथा कमियों से प्राचार्य को अवगत कराएं। निरीक्षण के समय सभी बिन्दुओं पर संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रपत्र विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, डॉ राकेश श्रीवास्तव द्वारा शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा।
5. डॉ राकेश श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कृपया निरीक्षण के लिए इस प्रकार का प्रपत्र तैयार करें, जिससे महाविद्यालय संक्षिप्त रूप से जानकारी निरीक्षण के दौरान एकत्र की जा सके।

हस्ता/

डॉ राधा बल्लभ शर्मा
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

**मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक 44/2443/05/2-38

भोपाल, दिनांक 9.1.2006

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय.....
म.प्र.

विषय- जनभागीदारी /सदस्यों को कक्ष/फर्नीचर उपलब्ध कराने के संबंध में।

जनभागीदारी नियमों में सम्मिलित अध्यक्ष/ सदस्यों को कक्ष आवंटित करने का प्रावधान नहीं है और न ही फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने का कोई नियम है। इतः उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्यशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समिति का कोई कार्यालय नहीं है। अतः पृथक से कक्ष की व्यवस्था /फर्नीचर का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीणा तेलंग)

म.प्र. ..उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 45/2443/05/2-38

भोपाल दिनांक 9-1-2006

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, उ.शि. म.प्र. भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालन भोपाल इन्दौर/ग्वालियर/ जबलपुर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग